



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2017/कार्तिक 19, 1939

No. 436]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2017/KARTIKA 19, 1939

राष्ट्रीय न्यास

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2017

फा. सं. 164 / संशोधित / आरआर / एनएटी / 2014-15 / खंड I.—बोर्ड स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति के कल्याण राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 35 की उप धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से न्यास विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ: - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम न्यास (संशोधन) विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. न्यास विनियम, 2001 में -

(क) विनियम 3 के उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा अर्थात: -

"(2) सेवा शर्त - अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, पदों की संख्या, उनकी शैक्षिक योग्यता, वेतन स्तर, भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, परिवीक्षा की अवधि और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले इन विनियमों से आबद्ध अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।";

(ख) प्ररूपों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अनुस्थापित की जाएगी, अर्थात: -

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर	चयन पद या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) कार्यक्रम निदेशक	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन बैंड-12; (78800-209200)	लागू नहीं होता	पचास वर्ष से अनधिका। (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आवश्यकताएं	क्या सीधी भर्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति के मामले में भी लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति -सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र अथवा सामाजिक कार्य अथवा समाज विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) विकासात्मक क्षेत्र में आठ वर्ष का अनुभव। वांछनीय : दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुभव।	आयु - नहीं। शैक्षिक अर्हताएं - हों।	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष। टिप्पण: एक वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आज्ञापक प्रवेशण प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।	सयुक्त पद्धति द्वारा : (प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह श्रेणी जिससे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो इसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में संघ लोक सेवा (यूपीएससी) आयोग से परामर्श करने की परिस्थितियां
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी जो</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन स्तर-11 (67700-208700) की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और;</p> <p>जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। वह उप-निदेशक जिसने राष्ट्रीय न्यास में वेतन स्तर-11, (67700 - 208700) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, पर भी बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि वह चयनित हो जाता है / जाती है वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया पद माना जाएगा।</p> <p>टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>चयन समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) की संरचना इस प्रकार होगी :</p> <p>(1) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास - अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्ययांगजन सशक्तीकरण विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि - सदस्य;</p> <p>(3) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता बहु-विकलांगता के दो विषयक विशेषज्ञ - सदस्य।</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास - अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि - सदस्य;</p> <p>(3) निदेशक, प्रशासनिक मंत्रालय - सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) उप-निदेशक	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन स्तर-11; (67700-208700)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति द्वारा : (प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति)

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी जो;</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन स्तर – 10(56100-177500) या समतुल्य पद पर पाँच वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन स्तर – 8(47600-151100) या समतुल्य पद पर छह वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iv) जिन्होंने वेतन स्तर – 7(44900-142400) या समतुल्य पद पर सात वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास :</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की बैचलर डिग्री हो;</p> <p>(ii) प्रशासन अथवा स्थापना अथवा लेखा में पांच वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>विकासात्मक क्षेत्र में अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>प्रोन्नति : विभागीय कार्यक्रम अधिकारी जिन्होंने राष्ट्रीय न्यास में वेतन स्तर – 7; (44900-142400) की श्रेणी में नियमित आधार पर सात वर्ष की हो और लेखा अधिकारी जिन्होंने राष्ट्रीय न्यास में वेतन स्तर – 8; (47600-151100) में नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा की हो, पर भी बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि वह चयनित हो जाता है / जाती है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया पद माना जाएगा।</p> <p>टिप्पण:</p> <p>(1) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>(2) प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबन्धित पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे।</p> <p>(1) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास – अध्यक्ष;</p> <p>(2) निदेशक/उप-सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय – सदस्य;</p> <p>(3) कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास – सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

<p>जाएगी।</p> <p>(3) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होंगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3) सहायक विधिक सलाहकार	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन स्तर -11; (67700-208700)	लागू नहीं होता	<p>चालीस वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के अनुसार पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण: आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बेचलर डिग्री;</p> <p>(ii) विधिक अथवा न्यायिक मामलों में काम करने का पाँच वर्ष का अनुभव।</p>	लागू नहीं होता	<p>सीधी भर्ती से किए जाने वाले व्यक्ति के लिए दो वर्ष।</p> <p>टिप्पण : दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।</p>	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी जो;</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन स्तर – 10; (56100-177500) के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जो वेतन स्तर – 8; (47600-151100) में छः वर्ष नियमित सेवा के साथ पद धारण करते हो या समतुल्य, या</p> <p>(iv) जो वेतन स्तर – 7; (44900-142400) में सात वर्ष नियमित सेवा के साथ पद धारण करते हो या समतुल्य</p> <p>(ग) जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे।</p> <p>(i) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास- अध्यक्ष;</p> <p>(ii) निदेशक / उप सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय – सदस्य;</p> <p>(iii) कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास – सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>(4) लेखा अधिकारी</p>	<p>*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>वेतन स्तर – 8; (47600-151100)</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>तीस वर्ष से अनधिका (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण: आयु – सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,</p>

					सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; (ii) किसी सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा कानूनी निकाय में नकदी, लेखा, बजट कार्य में चार वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती से किए जाने वाले व्यक्ति के लिए दो वर्ष। टिप्पण: दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।	संयुक्त पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी जो;</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जो वेतन स्तर - 7 (44900- 142400) या समतुल्य के साथ उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा के साथ पद धारण करते हो, या</p> <p>(iii) जो वेतन स्तर - 6; (35400-112400) या समतुल्य के साथ उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा के साथ पद धारण करते हो; और</p> <p>(ख) (i) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा अथवा समतुल्य परीक्षा पास की हो; अथवा</p> <p>(ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा समतुल्य से रोकड़ और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो और रोकड़, लेखा, लेखापरीक्षा और बजट कार्य में 4 वर्ष का अनुभव हो। उन लेखाकारों पर भी बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय न्यास में वेतन बेंड 6; (35400-112400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति / पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास - अध्यक्ष;</p> <p>(2) निदेशक / उपसचिव (वित्त), प्रशासनिक मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>(3) निदेशक / उपसचिव, प्रशासनिक मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>(4) उप-निदेशक, राष्ट्रीय न्यास - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

<p>की हो और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाता है तो उस पद को प्रोन्नति से भरा गया पद माना जाएगा।</p> <p>टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(5) कार्यक्रम अधिकारी	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	वेतन स्तर - 7; (44900-142400)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अनधिका (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार पॉंच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र अथवा सामाजिक कार्य अथवा समाज विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) विकासात्मक क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव; अथवा (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र अथवा सामाजिक कार्य अथवा समाजविज्ञान में बैचलर की	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती से किए जाने वाले व्यक्ति के लिए दो वर्ष। टिप्पण: दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।	संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

डिग्री; (ii) विकासात्मक क्षेत्र में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (i) दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुभव; (ii) कंप्यूटर में प्रवीणता।			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी जो; (क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो वेतन स्तर - 6; (35400-112400) के वेतनमान में, उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा के साथ पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए यथा विहित अर्हताएं और अनुभव हो। उन सहायकों पर भी, जिन्होंने राष्ट्रीय न्यास में वेतन स्तर - 6; (35400-112400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो, बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाता है तो उस पद को प्रोन्नति से भरा गया पद माना जाएगा। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति / पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास - अध्यक्ष; 2. निदेशक / उपसचिव, प्रशासनिक मंत्रालय - सदस्य; 3. कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास - सदस्य; 4. उप-निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय न्यास - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(6) निजी सचिव	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	वेतन स्तर - 7; (44900-142400)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: ऐसा वैयक्तिक सहायक, जिसने राष्ट्रीय न्यास में वेतन स्तर - 6; (35400-112400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो ओर उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी जो; (क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो वेतन स्तर - 6; (35400-112400) के वेतनमान में, उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा पद धारण किए हुए है; और (ख) जिनके पास केवल कंप्यूटर पर आशुलिपि (अंग्रेजी अथवा हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति हो।</p> <p>वांछनीय :: कंप्यूटर अर्थात् माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इत्यादि में प्रवीणता।</p> <p>टिप्पण 1: प्रोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास - अध्यक्ष; 2. निदेशक / उपसचिव, प्रशासनिक मंत्रालय - सदस्य; 3. कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास - सदस्य; 4. उप-निदेशक, राष्ट्रीय न्यास - सदस्य। 	लागू नहीं होता।

<p>टिप्पण: 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(7) सहायक।	<p>*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	लागू नहीं होता।	<p>वेतन स्तर - 6; (35400-112400)</p>	चयन।	<p>तीस वर्ष से अनधिका (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर डिग्री; (ii) प्रशासन और लेखा में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (i) कंप्यूटर प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइंट, इत्यादि में प्रवीणता। (ii) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव।</p>	<p>आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हों।</p>	<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए दो वर्ष। टिप्पण: दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के द्वारा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: अपर श्रेणी लिपिक और कार्यक्रम सहायक जिसने राष्ट्रीय न्यास में वेतन स्तर - 4; (25500-81100) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी जो;</p> <p>(i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जो वेतन स्तर - 5; (29200-92300) के वेतनमान में, उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा के साथ पद धारण किए हुये हैं; अथवा</p> <p>(iii) जो वेतन स्तर - 4; (25500-81100) के वेतनमान में, उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा के साथ पद धारण किए हुये हैं;</p> <p>और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए यथा विहित अर्हताएं और अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग से ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हों।</p>	<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए दो वर्ष।</p> <p>टिप्पण: दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(8) लेखाकार ।	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन स्तर - 6; (35400 - 112400)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; और (ii) किसी सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा कानूनी निकाय में रोकड़, लेखा और बजट कार्य का दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (i) कंप्यूटर प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइंट, इत्यादि में प्रवीणता ; (ii) दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव।	लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती से किए जाने वाले व्यक्ति के लिए दो वर्ष। टिप्पण: दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।	प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन:</p> <p>(क) (i) केन्द्रीय सचिवालय सिविल सेवा के अपर श्रेणी लिपिक जिन्होंने इस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा समतुल्य संस्थान से रोकड़ और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो और रोकड़, लेखा और बजट कार्य के संचालन में दो वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>(ख) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी जो;</p> <p>(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जो वेतन स्तर - 5; (29200-92300) के वेतनमान में उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा के साथ पद धारण करते या समतुल्य; अथवा</p> <p>(iii) जो वेतन स्तर - 4; (25500-81100) के वेतनमान, उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा के साथ पद धारण करते या समतुल्य ; और</p> <p>(ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा समतुल्य संस्थान से रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण:</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>1. संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास - अध्यक्ष;</p> <p>1) निदेशक / उप-सचिव / प्रशासनिक मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>2) कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास - सदस्य;</p> <p>3) उप-निदेशक, राष्ट्रीय न्यास - सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(9) वैयक्तिक सहायक	*2 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन स्तर - 6; (35400-112400)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अनधिका (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार पाँच वर्ष तक शिथिल

					की जा सकती है)। टिप्पण: आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री;</p> <p>(ii) जिनके पास आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति हो।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>कंप्यूटर प्रयोग - माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इत्यादि में प्रवीणता।</p>	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के उन अधिकारियों, जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा विहित अर्हताएं और अनुभव हैं, से प्रतिनियुक्तियों के आधार पर भरी जा सकेगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास - अध्यक्ष; निदेशक अथवा उप-सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय - सदस्य; कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास - सदस्य; उप-निदेशक, राष्ट्रीय न्यास - सदस्य। 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(10) कार्यक्रम सहायक।	*2 (2017) *कार्यभार के आधार	लागू नहीं होता।	वेतन स्तर - 4; (25500-81100)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच।

	पर परिवर्तन किया जा सकता है।			<p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण:</p> <p>आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>
--	------------------------------	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक :</p> <p>(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र अथवा समाज विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य में बैचलर डिग्री।</p> <p>वांछनीय ::</p> <p>(1) दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव।</p> <p>(2) कंप्यूटर प्रयोग एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि में प्रवीणता।</p>	लागू नहीं होता।	<p>दो वर्ष।</p> <p>टिप्पण:</p> <p>दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आजापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।</p>	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण:</p> <p>पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के उन अधिकारियों, जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा विहित अर्हताएं एवं अनुभव हैं, से प्रतिनियुक्तियों के अधार पर भरी जा सकेगी।</p>

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे : (1) उप-निदेशक, राष्ट्रीय न्यास-अध्यक्ष; (2) अवर सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय - सदस्य; (3) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यास का एक अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(11) उच्च श्रेणी लिपिक	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन स्तर - 4; (25500-81100)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण: आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री; (ii) कंप्यूटर प्रयोग माइक्रोसाफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि में प्रवीणता।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती से किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।	संयुक्त पद्धति द्वारा : {प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति (अल्पावधिक संविदा सहित)}जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी जो;</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो वेतन स्तर - 2; (19900-63200) के वेतनमान में, उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा के साथ पद धारण किए हुए हों और जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा विहित अर्हताएं हैं। विभागीय अवर श्रेणी लिपिक, जिन्होंने राष्ट्रीय न्यास में वेतन स्तर - 2; (19900-63200) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो, पर भी बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाता है तो उस पद को प्रोन्नति से भरा गया पद माना जाएगा।</p> <p>टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) उप-निदेशक, राष्ट्रीय न्यास - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय - सदस्य; (3) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यास का एक अधिकारी - सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(12) अवर श्रेणी लिपिक	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन स्तर - 2; (19900-63200)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच, (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/ निर्देशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण: आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,

					मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास अर्हता;</p> <p>(ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) कंप्यूटर अनुप्रयोग का आधारित ज्ञान - माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आदि।</p>		<p>सीधी भर्ती से किए जाने वाले व्यक्ति के लिए दो वर्ष।</p> <p>टिप्पण:</p> <p>दो वर्ष की अवधि में सफलता पूर्वक पूरी की गयी दो सप्ताह की आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण अवधि शामिल होगी।</p>	<p>(i) 85% सीधी भर्ती द्वारा;</p> <p>(ii) 15% प्रोन्नति द्वारा</p>

(11)	(12)	(13)
<p>बहु कार्य कर्मचारी जिन्होंने राष्ट्रीय न्यास में उस श्रेणी में नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा दी है।</p> <p>टिप्पण:</p> <p>जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतपूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे :</p> <p>(1) उप-निदेशक, राष्ट्रीय न्यास - अध्यक्ष;</p> <p>(2) अवर सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>(3) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यास का एक अधिकारी - सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(13) बहु-कार्य कर्मचारी	*3 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन स्तर – 1; (18000-56900)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण: आयु – सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक। वांछनीय : कंप्यूटर का आधारीक ज्ञान।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष नोट: दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह की आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण की सफल समापन अवधि शामिल होगी।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के उन अधिकारियों, जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा विहित अर्हताएं और अनुभव हैं, से प्रतिनियुक्तियों के अधार पर भरी जा सकेगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे : (1) उप-निदेशक, राष्ट्रीय न्यास – अध्यक्ष; (2) अवर सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय – सदस्य;	लागू नहीं होता

	(3) संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यास का एक अधिकारी - सदस्य ।	
--	---	--

मुकेश जैन, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन- III/4/असा./305/17]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं 579(अ) तारीख 3, अगस्त, 2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. 123(अ), तारीख 16 फरवरी, 2004, सा.का.नि. 403(अ), तारीख 27 जून, 2006 और सा.का.नि. 1022(अ), तारीख 24 दिसंबर 2010 द्वारा संशोधित किया गया था।

THE NATIONAL TRUST NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2017

F. No. 164/Modified/RRs/NAT/2014-15/Vol.I -In exercise of the powers conferred by sub-sections (I) and (2) of section 35 of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the Board with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Board of the Trust Regulations, 2001, namely:-

1. Short title and commencement :- (1) These regulations may be called the Board of the National Trust (Amendment) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of the Trust Regulations, 2001,-

(a) in regulation 3, for sub-regulation (2), the following sub- regulation shall be substituted, namely:-

“(2) **Service Conditions** – Appointment of officers and other employees, the number of posts, their educational qualifications, pay level, method of recruitment, age limit, period of probation and other matters relating to the said posts shall be as specified in the schedule annexed to these regulations.”;

(b) after the forms, the following schedule shall be inserted, namely:-

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay level	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Programme Director.	*1 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Non applicable.	Pay Level-12; (78800 – 209200)	Not applicable.	Not exceeding fifty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those

					residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
--	--	--	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Masters Degree in Sociology or Social Works or Social Science from a recognised university;</p> <p>(ii) eight years of experience in developmental sector.</p> <p>Desirable: Experience in disability sector.</p>	<p>Age – No. Educational qualification – Yes.</p>	<p>One year for Direct recruits. Note: The period of one year shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.</p>	<p>By composite method: (deputation/promotion) failing which by direct recruitment.</p>

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission (UPSC) is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation :</p> <p>Officers working under the departments of the Central Governments or State Governments or universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or autonomous or statutory organizations holding:</p> <p>(A)(i) analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) a post in the pay level-11; (67700 – 208700) with five years regular service in the pay level and;</p>	<p>Selection Committee (for considering promotion) consisting of :</p> <p>(1) Joint Secretary and Chief Executive Officer, The National Trust – Chairperson;</p> <p>(2) Joint Secretary , Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) or his Representative – Member;</p> <p>(3) Two subject specialists in Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability-Members.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1) Joint Secretary and Chief Executive Officer, National Trust – Chairperson;</p> <p>(2) Joint Secretary , administrative Ministry or his representative – Member;</p>	<p>Not applicable.</p>

<p>(B) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits.</p> <p>Deputy Director in the pay level-11; (67700 – 208700) and five years' service in the pay level rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Trust will also be considered along with outsiders and in case he or she is selected, the post shall be deemed to be filled by promotion.</p> <p>Note:</p> <p>Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty - six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	(3) Director, Administrative Ministry- Member.	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) Deputy Director.	*1 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Pay Level- 11; (67700 – 208700)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable	Not applicable	By composite method (deputation/promotion)

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation:</p> <p>Officers working under the departments of Central Government or State Governments or universities or recognized research institutes or semi - Government or autonomous bodies or statutory organizations or public sector undertakings holding;</p> <p>(A)(i) analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or</p> <p>(ii) with five years regular service in post in the pay level- 10; (56100 – 177500) or equivalent; or</p> <p>(iii) with six years regular service in the pay level – 8; (47600 – 151100) and equivalent; or</p> <p>(iv) with seven years regular service in post in the pay level -7; (44900 – 142400) or equivalent; and</p>	<p>Departmental promotion committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>(1) Joint Secretary and Chief Executive Officer, National Trust – Chairperson of the committee;</p> <p>(2) Director/Deputy Secretary, Administrative Ministry – Member;</p> <p>(3) Programme Director, National Trust-Member.</p>	Not applicable.

<p>(B) Possessing :</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognised university;</p> <p>(ii) five years experience in administration or establishment or accounts.</p> <p>Preference will be given to those having experience in development sector.</p> <p>Promotion:</p> <p>Departmental Programme Officer in the pay level-7; (44900 – 142400) with seven years of regular service in the pay level and Accounts Officer in the pay level – 8; (47600 – 151100) with six years of regular service in the National Trust will also be considered along with outsiders and in case he/she is selected, the post shall deemed to be filled by promotion.</p> <p>Note:</p> <p>(1) The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputation its shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(2) The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective post.</p> <p>(3) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3)Assistant Legal Adviser.	*1 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Pay Level – 11; (67700 – 208700)	Not applicable.	<p>Not exceeding forty years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions/orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note:</p> <p>The date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of</p>

					applications from candidates except for the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Bachelor's Degree in Law from a recognised university; (ii) five years of experience in dealing with legal or court matters.	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By deputation / absorption failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation/Absorption: Officers working under the departments of the Central Government or State Governments or universities or recognized research institutes or public sector undertakings or semi-government or autonomous or statutory organizations holding :-</p> <p>(A) (i) analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) a post in the pay level – 10; (56100 – 177500) with five years regular service in the pay level, or (iii) a post in the pay level – 8; (47600 – 151100) with six years regular service or equivalent; or (iv) a post in the pay level – 7; (44900 – 142400) with seven years regular service or equivalent; or</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(B) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits.</p> <p>Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(i) Joint Secretary and Chief Executive Officer, National Trust – Chairperson. (ii) Director/ Deputy Secretary, administrative Ministry – Member; (iii) Programme Director, National Trust – Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) Accounts Officer.	*1 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Pay Level – 8; (47600-151100)	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note: The date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub - Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Bachelor's degree from a recognised university; (ii) four years experience in handling cash, accounts, budget work in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By composite method (deputation/promotion) failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Deputation : Officials working under the departments of the Central Government or State Governments or universities or recognized research institutes or public sector undertakings or semi-Government or autonomous bodies or statutory organizations holding : (A) (i) analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) a post in the pay level – 7; (44900 – 142400) or equivalent with two years regular service in the pay level ; or	Departmental Promotion /Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of: (1) Joint Secretary and Chief Executive Officer, National Trust- Chairperson; (2) Director/ Deputy Secretary (Finance), administrative Ministry – Member; (3) Director/ Deputy Secretary Administrative Ministry – Member; (4) Deputy Director, National Trust – Member.	Not applicable.

<p>(iii) a post in the pay level – 6; (35400 – 112400) with six years regular service in the pay level or equivalent; and</p> <p>(B) (i) a pass in the Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by any of the organised Accounts Department of the Central Government; or</p> <p>(ii) successfully completed training in cash and accounts work from the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and four years of experience in cash, accounts audit and budget work.</p> <p>Accountant in pay level – 6; (35400 – 112400) of the National Trust with six years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis will also be considered along with outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post, the post shall be deemed to be filled by promotion.</p> <p>Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(5) Programme Officer.	*1 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Pay Level– 7; (44900 – 142400)	Not applicable.	<p>Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,</p>

					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential :</p> <p>(i) Masters Degree in Sociology or Social Works or Social Science from a recognised university;</p> <p>(ii) one year experience in developmental sector; or</p> <p>(i) Bachelor's degree in Social Science or Sociology or Social Works from a recognised University;</p> <p>(ii) three years of experience in developmental sector.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) experience in disability sector;</p> <p>(ii) proficiency in computer.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By composite method (deputation/ promotion) failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation :</p> <p>Officials working under the departments of the Central Government or State Governments or universities or recognized research institutes or semi-Government or autonomous or statutory organizations or public sector undertakings holding:</p> <p>(A)(i) analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) a post in the pay level – 6; (35400 – 112400) with five years regular service in the pay level; and</p> <p>(B) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits.</p> <p>Assistants in the pay level – 6; (35400 – 112400) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Trust will be considered along with outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post, the post shall deemed to be filled by promotion.</p> <p>Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by</p>	<p>Departmental Promotion/Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary and Chief Executive Officer, National Trust- Chairperson; 2. Director/ Deputy Secretary, Administrative Ministry – Member; 3. Programme Director, National Trust – Member; 4. Deputy Director (Administration), National Trust-Member. 	Not applicable.

deputation shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(6)Private Secretary.	*2 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Pay Level- 7; (44900 – 142400)	Selection	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not Applicable.	By promotion, failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Personal Assistants in the pay level – 6; (35400 – 112400) with five years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Trust.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers working under the departments of the Central Government or State Governments or universities or recognized research institutes or public sector undertakings or semi- Government or autonomous bodies or statutory organizations and holding :- (A) (i) analogous posts on regular basis in the parents cadre or department; or (ii) a post in pay level – 6; (35400 – 112400) with five years regular service in the pay level; and (B) possessing a speed of 100 words per minute in shorthand (English or Hindi) only on computer.</p> <p>Desirable: Proficiency in computer that is Micro Soft Word, Excel, Power Point, etc.,</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary and Chief Executive Officer, National Trust- Chairperson; 2. Director/ Deputy Secretary, Administrative Ministry – Member; 3. Programme Director, National Trust – Member; 4. (Deputy Director , National Trust – Member. 	Not applicable.

<p>Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(7) Assistant.	*1 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Pay Level- 6; (35400-112400)	Selection	<p>Not exceeding thirty years. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p>Note: The date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub - Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor's Degree from a recognized University;</p> <p>(ii) two years experience in administration and accounts.</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Proficiency in computer usage Micro Soft Word, excel, power point, etc.,</p> <p>(ii) experience of working in disability sector.</p>	<p>Age: No Educational Qualification - Yes.</p>	<p>Two years for direct recruits.</p> <p>Note:</p> <p>The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.</p>	<p>By promotion, failing which by deputation and failing both, by direct recruitment.</p>

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Upper Division Clerk and Programme Associate in the pay level – 4; (25500 – 81100) with ten years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Trust.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officials working under the departments of the Central Government or State Governments or universities or recognized research institutes or public sector undertakings or semi- Government or autonomous or statutory organisations and holding :</p> <p>(A) (i) analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) a post in the pay level – 5; (29200 – 92300) with six years regular service in the pay level; or (iii) a post in the pay level – 4; (25500 – 81100) with 10 years regular service in the pay level;</p> <p>and</p> <p>(B) possessing qualification and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall be not eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Joint Secretary and Chief Executive Officer, National Trust- Chairperson; 2) Director/ Deputy Secretary , Administrative Ministry – Member; 3) Programme Director, National Trust – Member; 4) Deputy Director, National Trust – Member. 	<p>Not applicable.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(8) Accountant.	*1 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Pay Level -6; (35400 – 112400)	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub - Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : (i) (Bachelor's Degree from a recognized University; and (ii) two years experience in cash, accounts and budget work in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body. Desirable: (iii) Proficiency in computer usage Micro Soft word, excel, power point, etc; (iv) experience of working in disability sector.	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By deputation /absorption failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption: (A) (i) Upper Divisional Clerk of Central Secretariat Civil Services with eight years of regular service in the grade; and (ii) have undergone training in cash and accounts work from Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possess two years	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1) Joint Secretary and Chief Executive Officer, National Trust- Chairperson; 2) Director/ Deputy Secretary, Administrative Ministry –	Not applicable.

<p>experience of handling cash, accounts and budget work; or</p> <p>(B) officials working under the departments of the Central Government or State Governments or public sector undertakings or semi-Government or autonomous or statutory organisations holding:</p> <p>(i) analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) post carrying pay in the pay level – 5; (29200–92300) with six years regular service in the pay level or equivalent; or</p> <p>(iii) post carrying pay in the pay level -4; (25500 – 81100)with eight years regular service in the pay level or equivalent; and</p> <p>(C) have undergone training in cash and accounts work from the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possess two years experience of handling cash, accounts and budget work.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty -six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Member;</p> <p>3) Programme Director, National Trust – Member;</p> <p>4) Deputy Director, National Trust – Member.</p>	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(9) Personal Assistant.	*2 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Pay Level -6; (35400-112400)	Not applicable.	<p>Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognised university;</p> <p>(ii) possessing a speed of 100 words per minute in shorthand..</p> <p>Desirable:</p> <p>Proficiency in computer usage-Micro Soft Word, Excel, Power Point, etc,</p>	Not applicable.	<p>Two years.</p> <p>Note:</p> <p>The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration</p>	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note:</p> <p>Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7)</p>

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1) Joint Secretary and Chief Executive Officer, National Trust- Chairperson;</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary , Administrative Ministry – Member;</p> <p>(3) Programme Director, National Trust – Member;</p> <p>(4) Deputy Director, National Trust – Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(10) Programme Associate.	*2 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Pay Level -4; (25500- 81100)	Not applicable.	<p>Between 18 and 27 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note:</p> <p>The date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh , Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (1) Bachelor's degree in sociology or social science or Social Works from a recognised university. Desirable: (1) Experience of working in disability sector. (2) proficiency in computer usage MS Word, Excel, Power Point, etc..	Not applicable.	Two years. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7)

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Deputy Director, The National Trust-Chairperson; (2) Under Secretary, administrative Ministry – Member; (3) One officer of the National Trust to be nominated by Joint Secretary and Chief Executive Officer-Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(11) Upper Division Clerk.	*1 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Pay Level -4; (25500 – 81100)	Not applicable.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised university; (ii) Proficiency in computer usage: Micro Soft Word, Excel, Power Point, etc.	Not applicable	Two years for direct recruits Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration	By composite method: {(deputation/promotion including short-term contract)} failing which by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers working under the departments of the Central Government or State Governments or universities or recognized research institutes or public sector undertakings or semi - Government or autonomous or statutory organizations: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) posts in the pay level-2; (19900-63200) with eight years of regular service in the pay level and possessing qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Departmental Lower Division Clerks in the pay level -2; (19900 – 63200) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Trust will also be considered along with the outsiders and in case he or she is selected, the post shall deemed to have been filled by promotion. Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Deputy Director, The National Trust-Chairperson; (2) Under Secretary, –administrative Ministry – Member; (3) One officer of the National Trust to be nominated by Joint Secretary and Chief Executive Officer-Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(12) Lower Division Clerk.	*1 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Pay Level -2; (19900 – 63200)	Not applicable.	Between 18 and 27 years, (Relaxable for Governments servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by

					the Central Government). Note: The date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep..
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) 12 th Class pass qualification from a recognised Board; (ii) typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. Desirable: (i) Basic knowledge in Computer Applications- Micro Soft Word, Excel, Power Point, etc.		Two years for direct recruits. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	(i) 85% by direct recruitment; (ii) 15% by promotion.

(11)	(12)	(13)
Multi Tasking Staff with three years of regular service in the pay level rendered on a regular basis in the National Trust. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of: (1) Deputy Director, The National Trust- Chairperson (2) Under Secretary, administrative Ministry – Member; (3) One officer of the National Trust to be nominated by Joint Secretary and Chief Executive Officer-Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(13) Multi-Tasking Staff.	*3(2017) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Pay Level -1; (18000 -56900)	Not applicable.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Governments servants up to forty years in accordance with the instructions issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub - Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Matriculation from a recognised Board. Desirable: Basic knowledge of computer.	Not applicable.	Two years. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By direct recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Deputy Director, The National Trust-Chairperson; (2) Under Secretary, administrative Ministry – Member;	Not applicable.

	(3) One officer of the National Trust to be nominated by Joint Secretary and Chief Executive Officer-Member.	
--	--	--

MUKESH JAIN, Jt. Secy. & Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./305/17]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 579(E), dated the 3rd August, 2001 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 123(E), dated the 16th February, 2004, G.S.R. 403(E), dated the 27th June, 2006 and G.S.R. 1022 (E), dated the 24th December, 2010.